प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

One day Basic training programme on "Human Rights"

(For Sub-Inspector to Dy. S.P.) दिनांक **29-01-2021**

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।



राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 29-01-2021 को One day Basic training programme on "Human Rights" विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम साइबर लैब में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 12 प्रतिभागियों जिसमें 03 पुलिस निरीक्षक, 09 उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:15 AM तक पंजीकरण, सहायक कोर्स निदेशक एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय दिया गया। प्रथम सत्र में डॉ. एम. के. देवराजन, डीजीपी (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य एसएचआरसी द्वारा मानव अधिकारो सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार,1948, मानव अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय प्रसंविदाये, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई।

द्वितीय सत्र में श्री रमेश कुमार, पी.ओ. आरपीए ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000, यौन अपराध (पोक्सो) अधिनियम, 2012 से बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों की तस्करी/लापता बच्चों सम्बन्धी कानूनी विषयों पर अपना व्याख्यान दिया।

तृतीय सत्र में श्री गिरधारी लाल, आईजीपी (सेवानिवृत्त) द्वारा गिरफतारी सम्बन्धी कानूनी प्रावधान व दिशा निर्देश, अभिरक्षा में मृत्यु/यातना, पुलिस कार्यप्रणाली के दौरान मृत्यु/लापता होने सम्बन्धी विषय व विचारधीन कैदियों सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। अन्तिम सत्र में श्री एम. एम. अत्रे, आईजीपी (सेवानिवृत्त) ने बंधुआ श्रमिक मुद्दे और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम,1976, बाल श्रम के मुद्दे और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 का संशोधन (2016) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचर की रोकथाम) 1989 संशोधन (2016) पर चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री रेवन्तदान, सहायक निदेशक (इण्डोर) द्वारा मानव अधिकार विषय पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।